कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा / माध्य / मा–ब / 22803 / NAT/2023 / दिनांक : 12.07.23

स्मरण–पत्र–I

01. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
05. समस्त पीईईओ / यूसीईईओ।

विषय :– ''राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2023'' हेतु ऑन–लाईन आवेदन के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार करने बाबत।

प्रसंग :– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 27.06.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **"राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2023"** हेतु नवीन दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार पात्र शिक्षकों द्वारा 15 जूलाई, 2023 तक शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेब–साईट के लिंक **https://nationalawardstoteachers.education.gov.in** पर इच्छुक शिक्षकों द्वारा ऑन–लाईन ''स्व नामांकन'' प्रक्रिया द्वारा पुरस्कार हेतु आवेदन किया जा सकता है।

इस हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा **"दिशा–निर्देश मय आवेदन प्रक्रिया, टाईम फ्रेम तथा विस्तृत चयन विधि"** पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की गई थी। NAT 2023 पोर्टल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि सम्पूर्ण राज्य में पंजीकृत / आंशिक रूप से भरे गए आवेदनों की संख्या कुल–67 तथा अन्तिम रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदनों की संख्या मात्र 05 पाई गई है। उक्त संख्या बहुत ही न्यून है (प्रति संलग्न)। कतिपय जिलों में स्व नामांकन के उपरांत पंजीकृत / आंशिक अथवा अन्तिम रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदनों की संख्या राज्यस्तर पर अग्रेषित किए जाने वाले 3 आवेदनों से अत्यधिक न्यून है तथा 04 जिलों में पंजिकृत आवेदनों की संख्या शून्य है। ऐसे में योग्य शिक्षकों का सही चयन करने में कठिनाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2023 के आवेदन से पूर्व इस बात का **विशेष ध्यान रखा जावे कि आवेदित अध्यापक नियमित शिक्षक हो एवं कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।**

अतः निर्देशित किया जाता है कि **"राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2023"** हेतु स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों में समाचार के माध्यम से तथा सोशल मीडिया के उपयोग से व्यापक प्रचार–प्रचार करावें ताकि अधिकाधिक संख्या में योग्य शिक्षक ऑन–लाईन आवेदन कर सकें तथा जिन शिक्षकों द्वारा पंजीकृत / आंशिक रूप से आवेदन किया है, वे उसे यथा–समय अन्तिम रूप से आवेदन प्रस्तुत कर सके।

(रमेश कुमार हर्ष)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राज. जयपुर को अग्रिम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. प्राचार्य, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. समस्त संस्था प्रधान, राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय।
9. निजी / रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Ramesh Kumar Harsh
Designation : Deputy Director
Date: 2023.07.12 10:51:32 IST
Reason: Approved

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref No. : 4257371

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते